

15 ⁰²/₂₂

~~प्राथमिक के अधिवक्ता अनुपाल्य~~

~~अप्राथमिक-2 की ओर से अधिवक्ता श्री~~

~~पुनराम ने अपाधिक्य होकर जाहिर किया~~

~~कि यह उनके द्वारा इस प्रकार में गत पेश~~

~~दिनांक 25/01/22 को प्रारम्भिक आपाधिक्य~~

~~पुस्तक की पर चुकी है तथा लदेवीलका लोहाकर~~

~~द्वारा दिनांक 12.01.22 को ही निर्णय किया~~

~~पर चुकी है और यह प्राथमिक पर प्रभावहीन~~

~~हो चुकी है।~~

~~हमने फरवरी का आवलीकरण~~

~~किया। अप्राथमिक-2 की ओर से दिनांक 25/01/22~~

~~को प्रारम्भिक आपाधिक्य मय लदेवीलका लोहाकर~~

~~द्वारा किया जो निर्णय की प्रति पेश~~

~~की पर चुकी है। प्रारम्भिक पर प्रभावहीन~~



लगा

राजस्व विविध शा. पत्र संख्या 01/22

सहीराम व सन्म

नाम

तहसीलदार, मोहावट वगैरा

क्र. सं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इलाक़े इस प्रकार में शामिल की गरीबों के तहसीलदार मोहावट हाश कोषने न्यायालय में विचारधीन प्र.सं. 05/2021 को दिनांक 12.01.22 को ही निर्णय किया जा चुका है अतः प्रे.सं. स्थिति में यह प्रार्थना प्र.सं. प्रभावहीन है। को निरस्त किया जाता है प्र.सं. प्रभावही न होने सुभार होकर जातिल इतर होए	